XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – रिव्यू 648–दो/06 जिला – रीवा

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
1-6-15	प्रकरण का अवलोकन किया । यह पुनरावलोकन राजस्व मंडल के तत्कालीन सदस्य द्वारा प्र0क्र0 268–दो/06 में पारित आदेश दिनांक 23.2.06 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 51 के तहत प्रस्तुत किया गया है । 2– उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया गया एवं प्रकरण का तथा आलोच्य आदेश का अध्ययन किया गया । निम्नलिखित तीन आधार विद्यमान होने पर ही पुनरावलोकन आवेदन स्वीकार किया जा सकता है :– 1– नई एवं महत्वपूर्ण बात/साक्ष्य का पता चलना जो उस समय जब आदेश पारित किया गया था, सम्यक तत्परता के पश्चात भी नहीं मिल पाई थी. 2– अभिलेख से प्रकट कोई भूल/गलती. 3– कोई अन्य पर्याप्त कारण । आवेदक ने पुनरावलोकन का जो आवेदन पेश किया है उसके परीक्षण से उक्तांकित आधारों में से कोई आधार विद्यमान होना नहीं पाया जाता इसलिए इस पुनरावलोकन आवेदन में कोई बल नहीं होने से यह पुनरावलोकन प्रकरण निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों । सदस्य	

विलोपित TEN RUPEES COURT FEE INDIA विलोपित FIVE RUPEES COURT FEE INDIA

न्यायालय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

पुनर्विलोकन प्रकरण क्रमांक /06

R 02-648/II/06

श्री के० के० द्विवेदी एड० द्वारा आज दि० 3-4-06 को प्रस्तुत।

अवर सचिव राजस्व मण्डल म० प्र० ग्वालियर

अशोक कुमार मिश्रा तनय रामायण प्रसाद
निवासी ग्राम मेदानी तहसील हुजूर
जिला- रीवा म0प्र0

--- आवेदक

विरूद्ध

म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर
जिला- रीवा म0प्र0

--- अनावेदक

माननीय न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 268-दो/06 निग0 पारित आदेश दिनांक 23-2-06 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता की धारा 51 के अधीन पुनर्विलोकन ।

माननीय महोदय,

आवेदक की ओर से निम्नांकित निवेदन है :-

1- यह कि इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित आक्षेपित आदेश में कुछ ऐसी भूलें हैं जिनके कारण आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

2- यह कि आवेदक द्वारा उनके पुनरीक्षण ज्ञापन में उठाई गई आपत्तियों पर विचार एवं विनिश्चयन नहीं किया गया है अत: इस कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश पुनर्विलोकन योग्य है ।

3- यह कि इस माननीय न्यायालय के समक्ष आवेदक द्वारा पुनरीक्षण ज्ञापन के आधार क्र-1 लगायत 7 में उठाई आपत्तियोंका न तो आदेश में उल्लेख हो सका और न ही विनिश्चयन किया गया है यह अभिलेख से प्रत्यक्षदर्शी त्रुटि है जिसके कारण आदेश पुनर्विलोकन

3-4-06 K. K. Dwivedi Advocate

3.4.06